कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली (छ.ग.)

—: संशोधित कार्य विभाजन आदेश :—

क्रमांक क /एक—15—1/2017 **मुंगेली, दिनांक 16 अगस्त 2023**

माननीय रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 1096/Confdl./2023/II-3-1/2023 बिलासपुर दिनांक 09 अगस्त 2023 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक 1110 दिनांक 14 अगस्त 2023 के तारतम्य में जिला स्थापना मुंगेली में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, मुंगेली के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप पूर्व में प्रसारित कार्यविभाजन आदेश क्रमांक क/एक—15—1/2017 मुंगेली दिनांक 02 जनवरी 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः—

उपरोक्त आदेश दिनांक 16.08.2023 से तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(1) अनुक्रमांक—6 के स्तम्भ क्रमांक—3 एवं 4 के सम्पूर्ण अंश को विलोपित कर उसके स्थान पर स्तम्भ क्रमांक—4 में ''**रिक्त न्यायालय**'' समाविष्ट किया जाता है।

(2) अनुक्रमांक—5 के स्तम्भ क्रमांक—4 के सरल क्रमांक 2 के अंश **''रूपये 6,00,001/—''** को विलोपित कर उसके स्थान पर ''**रू. 5,00,001**'' समाविष्ट किया जाता है।

(3) अनुक्रमांक—5 के स्तम्भ क्रमांक—4 के सरल क्रमांक —4 के पश्चात् सरल क्रमांक**—5** के रूप में **''रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 मुंगेली के न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित अनुषांगिक समस्त कार्य करना''** समाविष्ट किया जाता है।

(4) अनुक्रमांक—7 के स्तम्भ क्रमांक—3 में **''तहसील मुंगेली, पथरिया एवं जरहागांव''** समाविष्ट किया जाता है।

(5) अनुक्रमांक—7 के स्तम्भ क्रमांक—4 के अंश **'' रिक्त न्यायालय''** को विलोपित कर निम्नांकित समाविष्ट किया जाता हैः—

29. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंगेली द्वारा कार्य विभाजन आदेशानुसार सौंपे गये एवं समय समय पर अंतरित किये गये आपराधिक प्रकरण।
30. रूपये शून्य से रूपये 5,00,000/— तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।***(व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 लोरमी के आर्थिक क्षेत्राधिकार अंतर्गत विचारणीय प्रकरणों को छोडकर)***
31. रू. शून्य से रू. 200/— तक के मूल्य के लघुवाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण ।
32. अन्य जिलो से प्राप्त रूपये शून्य से रूपये 500,000/— तक के मूल्य निर्वतन हेतु प्रकरण।
33. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

सही/—
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.

न्यायाधीशों के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक सिविल एवं आपराधिक मामलों के कार्य निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायाधीशों द्वारा किया जावेगा।

क्र.	**न्यायाधीश का पदनाम**	**अवकाश अथवा अनुपस्थिति अवधि में अधिकृत न्यायाधीश**
1	2	3
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
2	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली (*पी.सी.एक्ट को छोंडकर*)
3	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
4	1. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली 2. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) मुंगेली	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1, मुंगेली
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मुंगेली	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली
7	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मुंगेली	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, मुंगेली
8	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, लोरमी	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, मुंगेली

टीप– नोट यथावत् रहेगा।

सही/–
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुंगेली छ.ग.